तत्काल
अत्यावश्यक

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल – 462004

Website : www.mpmandiboard.gov.in E-mail : jdmpsamb@gmail.com Tel: 0755-4270561

क्रमांक/बी–5/2/अनुज्ञा–मॉडयूल/2014–15/910 भोपाल दिनांक 28 अगस्त 2015

प्रति,

संयुक्त संचालक/उप संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/सागर/जबलपुर/रीवा (म0प्र0)

विषयः–प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र मॉडयूल को कियान्वित किये जाने संबंधी।

संदर्भः–कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बी–5/2/अनुज्ञा–मॉड्यूल/2014–15/293–294 दिनांक 08 जुलाई 2015 एवं 316–317 दिनांक 13 अगस्त 2015।

–0–

उल्लेखित विषय में प्रदेश की मण्डी समितियों द्वारा दिनांक 01 अप्रेल 2015 से दिनांक 10 अगस्त 2015 तक की अवधि में ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र मॉडयूल में फीड गये अनुज्ञा पत्रों की जानकारी के परीक्षण में एक ही मण्डी समिति के द्वारा एक ही मण्डी शुल्क रसीद क्रमांक पर अलग–अलग तिथियों में अलग–अलग मण्डी फीस जमा होने की स्थिति को वित्तीय नियमों का स्पष्ट उल्लघंन है की स्थिति प्रतिवेदित कर अंचल की मण्डी समितियों की रिपोर्ट अनुलग्नक–02 में संलग्न प्रेषित कर उपरोक्त स्थिति का परीक्षण मण्डीवार तत्काल कराकर दिनांक 20 अगस्त 2015 तक तथ्यात्मक प्रतिवेदन मय की गई कार्यवाही की जानकारी के साथ लेकर आने के निर्देश दिये गये थे।

विषय संदर्भ में समीक्षा किये जाने पर यह पाया गया कि किसी भी संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय के द्वारा अपना प्रतिवेदन आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस स्थिति से स्पष्ट है कि बारम्बार निर्देश दिये जाने के बावजूद आपके द्वारा मण्डी बोर्ड मुख्यालय के निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। अतः अंतिम रुप से निर्देशित किया जाता है कि एक सप्ताह की समय सीमा में अपना प्रतिवेदन अनिवार्य रुप से उपलब्ध करायें अन्यथा वस्तुस्थिति से प्रबंध संचालक महोदय को अवगत कराया जावेगा।

(ए0पी0एस0सोलंकी)
अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / बी–5 / 2 / अनुज्ञा–मॉडयूल / 2014–15 / 911 भोपाल दिनांक 28 अगस्त 2015

**<u>प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।</u>**

(01) निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल (म0प्र0)।

(02) श्री ए0एन0सिद्धीकी, तकनीकी निदेशक भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन भोपाल।

(03) उप संचालक (नियमन), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल (म0प्र0)।

(04) सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति ............................ जिला ........................ (म0प्र0) :– विषय संदर्भ में दिये गये निर्देशों का पालन अनिवार्य रुप से सुनिश्चित करें।

अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल